

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**-::: संकल्प ::-**

पत्रांक—11 / आ० वि०—07 / 2019 सा० प्र०, पटना ..... दिनांक—.....

**विषय—** सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या—7433 दिनांक—05.06.2018 द्वारा राज्य के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित न्यूनतम कालावधि में संशोधन।

7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्याधीन सेवाओं के पद सौधान में वेतन स्तर (पे—लेवल) आधारित व्यवस्था लागू करते हुए न्यूनतम कालावधि का निर्धारण किया गया है एवं इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के स्तर से संकल्प संख्या—7433 दिनांक—05.06.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा—निदेश राज्य के सभी संबंधित प्राधिकारों को संसूचित किए गए हैं।

2. उपर्युक्त संकल्प निर्णत होने के पश्चात राज्य के कर्तिपय सेवा/संवर्ग, जिसमें वेतन स्तर—4 से वेतन स्तर—7 में प्रोन्नति दी जाती है, के कर्मियों द्वारा पूर्व से निर्धारित न्यूनतम कालावधि को कम करने के लिए कई अवसरों पर आवेदन समर्पित किए गए, जिसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा देश के अन्य राज्यों से एतद संबंधी सूचना एकत्र की गयी एवं समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पड़ोसी राज्य झारखण्ड में वेतन स्तर—4 से वेतन स्तर—7 (आशुलिपिकीय सेवा के संदर्भ में) प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि बिहार राज्य की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। इसी प्रकार अन्य राज्यों से भी प्राप्त सूचना के आधार पर मामले की समीक्षा की गयी तथा राज्य सरकार के कर्मियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व निर्धारित विभिन्न वेतन स्तरों में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि में आंशिक संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

3. सम्यक् विचारोपरांत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या—7433 दिनांक—05.06.2018 की कंडिका—3(i) में आंशिक संशोधन करते हुए वेतन स्तर—3 से वेतन स्तर—7 में प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है—

क्र०	प्रोन्नति के लिये निर्धारित (Pay Level)		न्यूनतम अर्हक सेवा (संशोधित कालावधि)
	से	तक	
1	3	4	4 Year
2	4	5	3 Year
3	5	6	4 Year
4	6	7	4 Year

4. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या—7433 दिनांक—05.06.2018 के प्रावधान इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे एवं इस संकल्प में किए गए अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे।

5. यह प्रावधान निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० /—

(रजनीश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

झापांक—11/आ० वि०—07/2019 सा० प्र०, पटना ..... दिनांक—.....

प्रतिलिप—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 प्रतियाँ इस विभाग में भेजने की कृपा की जाय।


ह० /—

सरकार के संयुक्त सचिव।

झापांक—11/आ० वि०—07/2019 सा० प्र०, पटना ..... 635 दिनांक—10/01/2024

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आमुक्त तथा सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
10/01/2024  
सरकार के संयुक्त सचिव।